



केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली संभाग
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, DELHI REGION
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
पुराना जे.एन.यू. परिसर, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110067
OLD JNU CAMPUS, NEW MEHRAULI ROAD, New Delhi-110067
फ़ोन: 011-20861277, Email Id: dg@kvsrodelhi.in / fo@kvsrodelhi.in
Website: rodelhi.kvs.gov.in

फ.सं.190/2026-27/के.वि.सं.(वि.सं)/सीजीएचएस/ 15036-15082

दिनांक : 08.09.2026

केवल ई-मेल द्वारा

प्राचार्य/प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
दिल्ली संभाग

विषय: के.वि.सं. (मुख्यालय) के पत्रांक फा.स.11086/01/2026-KVS(HQ)/Admn.II/1211-1212 दिनांक 05.08.2026 के अनुपालन में सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पेंशनभोगियों हेतु सीजीएचएस सुविधाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में।

संदर्भ: संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), के.वि.सं. (मुख्यालय), नई दिल्ली का पत्रांक फा.स.11086/01/2026-KVS(HQ)/Admn.II/1211-1212 दिनांक 05.08.2026।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) द्वारा पात्र सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पेंशनभोगियों द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का अपेक्षित लाभ न उठाए जाने तथा पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण/नामांकन के स्तर में कमी के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। यह भी अवगत करवाया गया है कि अनेक कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को सीजीएचएस के अंतर्गत उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, पात्रता तथा पंजीकरण/नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्र सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को सीजीएचएस के अंतर्गत उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदान किए जाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान (Publicity Drive) संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रभावी माध्यमों का समुचित उपयोग करते हुए योजना से संबंधित प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारी लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचाना अपेक्षित है।

अतः दिल्ली संभाग के अधीन सभी केन्द्रीय विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने विद्यालयों में सीजीएचएस सुविधाओं के संबंध में व्यापक एवं प्रभावी जागरूकता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें:-

(i) सीजीएचएस के अंतर्गत पात्रता, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, योजना के लाभ तथा पंजीकरण/नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन एवं आवश्यक जानकारी विद्यालय के मुख्य सूचना-पट्ट, स्टाफ रूम तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त जानकारी पात्र कर्मचारियों के लिए सहज रूप से उपलब्ध एवं सुलभ हो।

(ii) विद्यालय स्तर पर जारी किए जाने वाले कार्यालयी पत्रों, परिपत्रों एवं अन्य आधिकारिक संचार माध्यमों के द्वारा पात्र सेवारत कर्मचारियों को सीजीएचएस के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं एवं संबंधित प्रावधानों के संबंध में समय-समय पर अवगत कराया जाए।

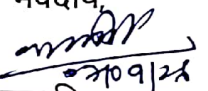
(iii) स्टाफ बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा अन्य उपयुक्त अवसरों पर सीजीएचएस योजना के संबंध में पात्र कर्मचारियों को योजना के लाभ, पात्रता एवं पंजीकरण/नामांकन प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

(iv) विद्यालय एवं संभाग स्तर पर आयोजित सेवारत प्रशिक्षण (In-Service Training) कार्यक्रमों, अभिविन्यास कार्यक्रमों तथा अन्य प्रशिक्षण गतिविधियों के दौरान भी सीजीएचएस सुविधाओं के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक किया जाए।

(v) विद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पेंशनभोगियों तक भी सीजीएचएस संबंधी जानकारी पहुँचाने हेतु ई-मेल, व्हाट्सऐप समूह, दूरभाष अथवा अन्य उपयुक्त माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनभोगी योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर सकें।

उपर्युक्त निर्देशों का उद्देश्य मात्र सूचना का प्रसार करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनभोगी सीजीएचएस के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, पात्रता तथा पंजीकरण/नामांकन संबंधी आवश्यक जानकारी से अवगत हो और उसे योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

यह भी सूचित किया जाता है कि सीजीएचएस सुविधाओं से संबंधित नियमों के संबंध में किसी प्रकार की शंका होने पर क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

20/09/24
(वरुण मित्र)
उपयुक्त

प्रतिलिपि : सहायक आयुक्त - II, के.वि.सं., दिल्ली संभाग से अनुरोध है कि इस पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।